



# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टो

दिनांक	फर्द अहकाम
3.6.15	<p>वादी वकील द्वारा शर्चना पत्र प्रस्तुत कि प्रकरण निस्तारण नहीं हो पाया है। राजस्व लोक अदालत शिवि न्यायक्षेत्र में निस्तारण करने की वृत्ति के वकील को सुना गया। पत्रावली लालव गठी / पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिवि पासपोर्ट में दिनांक 5.6.15 को पेश है।</p>
5.6.15	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिवि पासपोर्ट में पेश हुई। वादी व वादी वकील उपरोक्त वादी ने दावा इस प्रकार पेश किया है कि ग्राम गोपालपुरा की जमाबंदी संख्या 2070-73 के खाना संख्या 8, 9, 10, 11 में ग्यारसा 510 अरेवैराम नाम दर्ज हो रहा है जबकि सही नाम ग्यारसा 510 रेवैराम है जिसे सही किया जाये दावा के साथ ग्राम मुनक्की की जमाबंदी सं 2068-71 के खाना सं. 102 की गजल भी पेश की है जिसे ग्यारसा 510 रेवैराम दर्ज है। प्रकरण इन्हाज दुकली से संबंधित होने के कारण लक्ष्मी लाल</p>

# आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (2)

फर्द अहकाम

टोडाभीम से रिपोर्ट प्राप्त की गई/तहसीलदार  
 टोडाभीम ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वादी  
 का सही नाम उचारस्य 510 खैराम ही है।  
 ग्राम गोपालपुरा की जमाबंदी रिकॉर्ड में  
 उचारसा 510 अखैराम के नाम के स्थान पर  
~~उचारसा~~ उचारस्य 510 खैराम नाम दर्ज  
 करने की अभिशंखा की है।

तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट  
 के आधार पर दावा स्वीकार योग्य होने  
 के कारण ग्राम गोपालपुरा की जमाबंदी  
 सैक्टर 2070-73 के खाता संख्या 8, 9, 10,  
 में दर्ज नाम उचारसा 510 अखैराम के  
 स्थान पर उचारस्य 510 खैराम नाम दर्ज  
 करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश  
 जारी करें।

*Ju*

1206-1208  
 5-6-15

पत्रावली केसल शुगर होल्डिंग्स  
 से कम होल्डिंग दाखिल दफ्तार है।

*[Signature]*  
 उप जिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)